


शुभम् भूयात्

अहम्
मंगलम् भूयात्

कल्याणम् भूयात्



पार्श्व



अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्

पंजीकृत कार्यालय: 'युवालोक', पो. बा. नं. 18, लाडनूं - 341 306, जिला नागौर (राज.) फोन : 01581-222114

प्रशासकीय कार्यालय: 'अणुव्रत भवन', 210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली - 110 002. फोन : 011-23210683, Email: abtyp1964@gmail.com

वर्ष - 4

अंक - 8

1.08.2011

PRESIDENT : GOUTHAMCHAND N. DAGA

G. C. Daga & Co., Sri Balaji Complex, 14 Veerappan St., 2nd Flr.,
Sowcarpet, CHENNAI-79. Ph : (O) 044-25367422 (R) 25290715
Mobile : 09444407423 Email : president.abtyp@gmail.com

GENERAL SECRETARY : RAMESH JAIN-SUTARIA

Ramesh C. Jain & Co., Office # 20, 2nd Flr., 563 New Mill Road
Kurla (W), MUMBAI-70. Ph : (O) 022-26521648, 26522058 (R) 26686365
Mobile : 09324221648 Email : secretary.abtyp@gmail.com

अहम्

सम्माननीय युवा साथियों,

सादर जय जिनेन्द्र!

तेरापंथ की उद्गम भूमि केलवा में पूज्यप्रवर सानन्द विराज रहे हैं। धर्म प्रभावना उत्तरोत्तर वृद्धिमान है। युवा शक्ति का नियोजन सम्यक् रूप से चातुर्मास में हो रहा है।

आगामी दिनों में अभिनव सामायिक (7 अगस्त), जैन विद्या कार्यशाला का प्रारम्भ (1 अगस्त, परीक्षा 21 अगस्त), नशा मुक्ति कार्यशाला (14 अगस्त), विश्वविद्यालय कार्यशाला (21 अगस्त) के कार्यक्रम सम्पादित करने हैं। पूर्व निर्धारित यह सभी कार्यक्रम हम सभी के प्रयास से संघ प्रभावना के हेतु बने, यह काम्य है।

लाडनूं (राज.) में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। समाज के जिन उदारमना शुभेच्छुओं का सहयोग प्राप्त हो चुका है, उनके प्रति हृदय से आभार। जिन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है, वे सहयोग राशि बैंक के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। साथ ही जिनकी अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उनसे निवेदन है कि युवा शक्ति के साथ-साथ आप सभी भी अपना सहयोग प्रदान करावें।

गत माह जोधपुर संभाग व उड़ीसा स्तरीय संगठन कार्यशालाएं आयोजित हुई। युवा साथियों की उत्साहमय उपस्थिति सराहनीय रही, एतदर्थ साधुवाद।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला (6-7 अगस्त, केलवा) में सभी से प्रत्यक्ष रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है।

धर्मसंघ के प्रति हमारी निष्ठा दृढ़तर हो, सभी के प्रति शुभकामनाएं....

आपका

गौतमचन्द डागा

अध्यक्ष

अभातेयुप भवन निर्माण कार्य हेतु आर्थिक सहयोग का आह्वान

पूज्यवर का सन् 2013 का चातुर्मास 'लाडनूं' के लिए घोषित है। वर्ष 2013-2014 गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है और अभातेयुप का स्वर्ण जयन्ती वर्ष भी है। आगामी वर्षों में अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभातेयुप का भवन लाडनूं में जैन विश्व भारती के पास बन रहा है। भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

सभी युवा साथियों एवं तेरापंथ श्रावक-श्राविकाओं से अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्र से भवन निर्माण हेतु ₹ 31,000/- का आर्थिक सहयोग अधिक से अधिक संख्या में प्रदान करावें ताकि भवन निर्माण कार्य समय पर सुगमता से सम्पन्न किया जा सके। आप यह राशि अभातेयुप के खाते (SBI Ladnun A/c No. 30313076278) में जमा करा सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र :-

महामंत्री रमेश सुतरिया मो. 93242 21648 या सहमंत्री प्रफुल्ल बेताला मो. 93372 67213

॥ चरणों को गतिमान बनाएं, सपनों को साकार बनाएं ॥

दिशा-निर्देश

1. शाखा परिषद् **पाथेय** का वाचन अपनी कार्यसमिति की बैठक में अवश्य करें। इसमें दिए गए दिशा-निर्देश (प्रत्येक माह) का पालन करने वालों को मूल्यांकन में विशेष अंक दिए जाएंगे।
2. स्थानीय शाखा परिषदें अपने क्षेत्र में कार्य करें। कोई भी शाखा परिषद् यदि कोई स्थाई प्रकल्प / कार्यक्रम करती है तो अभातेयुप के **राष्ट्रीय अध्यक्ष** से अनुमति प्राप्त करें।
3. तेयुप प्रकाशन योजना के सदस्य ज्यादा से ज्यादा बनाएं। इसका शुल्क ₹ 5,100/- है। अधिक जानकारी हेतु प्रकाशन प्रभारी **श्री नरेन्द्र नाहटा** से मो. 9246475046 पर सम्पर्क करें। सभी कार्यसमिति सदस्यों से आह्वान है कि प्रत्येक सदस्य तेयुप प्रकाशन सहयोगी के रूप में कम से कम 10 सदस्य अवश्य बनाएं।
4. शाखा परिषद् अपने बकाया शुल्क या अपने क्षेत्र के बकाया शुल्क एकत्रित कर अभातेयुप के खाते (OBC Ladnun A/c No. 10272010002800 or SBI Ladnun A/c No. 30313076278) में तुरन्त जमा करावें। वर्ष 2010-2011 एवं 2011-2012 की शाखा रजिस्ट्रेशन शुल्क अभातेयुप के खाते में तुरन्त जमा करावें। रसीद की प्रतिलिपि केन्द्रीय कार्यालय लाडनूं में भिजवाएं। इसे अति आवश्यक समझें। सम्पर्क सूत्र : **श्री सलिल लोढ़ा - मो. 9820149302**
5. केन्द्र द्वारा घोषित निर्देशों का समुचित रूप से पालन करें ताकि मूल्यांकन में आपके द्वारा कृत कार्यों का समावेश हो सके।
6. प्रभारी अपने प्रभार की परिषदों से निरन्तर सम्पर्क में रहकर उनके कार्यों में सहयोग एवं मार्गदर्शन करें। साथ ही शाखा परिषद् भी अपने प्रभारी से सम्पर्क में रहें।
7. शाखा परिषद् अपने कार्यक्रमों की जानकारी द्विमासिक रिपोर्ट के प्रारूप में ही भरकर भिजवाएं। न कि प्रत्येक कार्यक्रम की सूचना/रिपोर्ट अलग से भिजवाएं। रिपोर्ट महामंत्री एवं प्रभारी के पास ही भेजें या secretary.abtyp@gmail.com पर email करें।
8. आपके परिवार में जब भी खुशी का मौका आए जैसे - जन्म, सगाई, विवाह, वर्षगांठ, सम्मान (किसी भी क्षेत्र में) आदि, हमारा अनुरोध है कि ऐसे खुशी के सुअवसर पर अभातेयुप को अनुदान प्रदान करावें। कम से कम ₹ 2,100/- देने वालों के नाम तेरापंथ टाइम्स में प्रकाशित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए **अध्यक्षीय / महामंत्री** कार्यालय से सम्पर्क करें।
9. शाखा परिषदें अपने-अपने क्षेत्रों में निम्न विषयों पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कर सकती हैं :- 1. व्यक्तित्व विकास कार्यशाला 2. जैन संस्कार कार्यशाला। 3. किशोर मण्डल सम्मेलन। 4. संगठनात्मक कार्यशाला। जो शाखा परिषदें अपने क्षेत्र में इन कार्यशाला को आयोजित करना चाहती हैं, वे अपने शाखा प्रभारी के माध्यम से महामंत्री कार्यालय में सम्पर्क करें।
10. पूर्व प्रेषित परिपत्र में आपको अपनी परिषद् के सदस्यों का विवरण भेजना था। जिन शाखा परिषदों ने अब तब सदस्यों की सूची नहीं भेजी है, वे सभी शाखा परिषदें अपने सदस्यों की सूची **CD में Excel File Format** में संगठन मंत्री **श्री अविनाश नाहर**, 52 केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर 302 018 (राज.). मो. 9829060328 एवं सहमंत्री **श्री निलेश बैद**, विजेक्स एण्ड कम्पनी, 669 माउण्ट रोड, थाउजण्ड लाईट्स, चेन्नई 600 006. मो. 9840053956 को 31 अगस्त 2011 तक अवश्य भिजवाएं।
11. तेरापंथ टाइम्स एवं युवादृष्टि के ग्राहकों की सम्पूर्ण जानकारी **www.abttjsoft.in** पर उपलब्ध है। इसमें updation जारी है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए यह website view only के साथ online की गई है। आपके सुझाव एवं पतों में परिवर्तन आदि की जानकारी abtyp.ladnun@yahoo.in, abtyp1964@gmail.com, secretary.abtyp@gmail.com पर email करें।
12. आगामी माह में केन्द्र द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्यों को अपने क्षेत्र में आयोजित कर उनकी रिपोर्ट अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक व प्रभारी को भिजवाएं। सभी कार्यक्रम अनिवार्य है।
13. सभी प्रभारियों से अनुरोध है कि शाखा परिषदों से प्राप्त प्रतिवेदन महामंत्री कार्यालय में **15 अगस्त 2011** तक अवश्य पहुंचा दें।
14. सभी शाखा परिषदें किशोर मण्डल का प्रतिवेदन किशोर मण्डल प्रभारी को **15 अगस्त 2011** तक अवश्य भिजवा दें। समय पर पहुंचे हुए प्रतिवेदन ही मूल्यांकन के लिए मान्य होंगे।
15. वर्ष 2011-2012 की अध्यक्ष एवं मंत्री की दिग्दर्शिका हेतु फॉर्म भर कर दि. **15 अगस्त 2011** तक सहमंत्री प्रथम निलेश बैद को अवश्य भिजवा दें। समय पर पहुंचे हुए दिग्दर्शिका फॉर्म को ही प्रकाशित किया जा सकेगा। सभी शाखा परिषदों से अनुरोध है कि दिग्दर्शिका हेतु परिषद् का विज्ञापन मय शुल्क रु. 1100 अवश्य भिजवाएं।

5-6-7 नवम्बर 2011 को केलवा में आयोजित **वार्षिक अधिवेशन** हेतु प्रतिनिधि शुल्क दि. 15.9.2011 तक ₹750 है।

इस तिथि के बाद जमा कराने वालों के लिए शुल्क ₹1,000 रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संयोजक से सम्पर्क करें :-

प्रफुल्ल बेताला, संयोजक - मो. 93372 67213

जैन संस्कार विधि कार्यशाला

अभातेयुप ने **25 सितम्बर 2011** को देश भर में सभी शाखा परिषदों के माध्यम से **जैन संस्कार विधि कार्यशाला** के समायोजन का निर्णय लिया है। सभी शाखा परिषदें इस दिन अपने-अपने क्षेत्र में कार्यशाला अवश्य आयोजित करें। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

पर्यवेक्षक : **तुलसी दूगड** मो. 98311 67777

संयोजक : **बजरंग सेठिया** मो. 94340 67700

संगठन यात्रा

दिनांक	स्थान	सान्निध्य		सहयोगी
श्री गौतमचन्द्र डागा				
03.7.2011	ईरोड		तेरापंथ भवन उद्घाटन समारोह	श्री निलेश बैद, श्री रमेश पटावरी
10.7.2011	केलवा	परम पूज्य आचार्य प्रवर	चातुर्मासिक मंगल प्रवेश	श्री रमेश सुतरिया, श्री अविनाश नाहर, श्री सलिल लोढा, श्री महेन्द्र कोठारी, अभातेयुप परिवार
11.7.2011	केलवा	परम पूज्य आचार्य प्रवर		श्री रमेश सुतरिया, श्री निर्मल गोखरू, श्री दिनेश कोठारी
11.7.2011	केलवा		भवन निर्माण बैठक	श्री रमेश सुतरिया, श्री प्रफुल्ल बेताला, श्री दिनेश कोठारी श्री महेन्द्र कोठारी, श्री कपिल इन्टोदिया, श्री निर्मल गोखरू
17.7.2011	चेन्नई	साध्वीश्री कीर्तिलताजी	मन्त्र दीक्षा कार्यक्रम	श्री निलेश बैद, श्री अशोक डागा, श्री प्रवीण बाबेल
19.7.2011	अहमदाबाद	साध्वीश्री पीयूषप्रभाजी		श्री मुकेश गुगलिया, श्री नरेन्द्र माण्डोतर, श्री मुकेश कोठारी, श्री अनिल कोठारी, श्री सम्पत बुरड, श्री महेन्द्र पोरवाल
20.7.2011	केलवा	पूज्यप्रवर		श्री महावीर सकलेचा, श्री दिनेश कोठारी
20.7.2011	पाली	साध्वी श्री भीखांजी, साध्वीश्री चन्द्रकलाजी		श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा
21.7.011	जोधपुर शहर	साध्वीश्री यशोधराजी		श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री महावीर सकलेचा, श्री ललित जीरावला
21.7.2011	सरदारपुरा	मुनिश्री रवीन्द्रकुमारजी		श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री महावीर सकलेचा, श्री ललित जीरावला, श्री एकलव्य भंसाळी
21.7.2011	पचपदरा	साध्वीश्री लब्धिश्रीजी		श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री पीयूष सालेचा
22.7.2011	आसोतरा			श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री पीयूष सालेचा, श्री ललित जीरावला
22.7.2011	असाडा	साध्वीश्री गुलाबकंवरजी		श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री शिवकुमार ढेलडिया, श्री पीयूष सालेचा, श्री ललित जीरावला, श्री शान्तिलाल भंसाळी
22.7.2011	बाडमेर	समणी श्रद्धाप्रज्ञाजी		श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री पीयूष सालेचा, श्री ललित जीरावला, श्री शान्तिलाल भंसाळी
22.7.2011	बायतू	मुनिश्री सुव्रतकुमारजी		श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री पीयूष सालेचा, श्री ललित जीरावला, श्री शान्तिलाल भंसाळी
23.7.2011	बालोतरा	साध्वीश्री चांदकुमारीजी साध्वीश्री तिलकश्रीजी		श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री शिवकुमार ढेलडिया, श्री ललित जीरावला, श्री पीयूष सालेचा, श्री ओमप्रकाश गोठी, श्री प्रकाश श्रीश्रीमाल
23.7.2011	पारलु	साध्वीश्री कमलप्रभाजी		श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री शिवकुमार ढेलडिया
23.7.2011	कनाना			श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री शिवकुमार ढेलडिया
23.7.2011	टापरा	साध्वीश्री उज्ज्वलरेखाजी		श्री शिवकुमार ढेलडिया, श्री ललित जीरावला, श्री ओमप्रकाश गोठी
24.7.2011	जसोल	मुनिश्री मदनकुमारजी	जोधपुर संभागीय संगठन कार्यशाला	श्री मर्यादा कुमार कोठारी, श्री हनुमान लुंकड, श्री महावीर सकलेचा, श्री शिवकुमार ढेलडिया, श्री पीयूष सालेचा, श्री ओमप्रकाश गोठी, श्री ललित जीरावाला, श्री सम्पत बुरड, श्री सोहनलाल तातेड, श्री जी.एल. जैन, श्री शान्तिलाल भंसाळी, श्री प्रकाश श्रीश्रीमाल
31.7.2011	चेन्नई	साध्वीश्री कीर्तिलताजी	तमिलनाडु स्तरीय किशोर मण्डल कार्यशाला	श्री निलेश बैद, श्री निर्मल के. जैन, श्री अनिल सांखला, श्री अशोक डागा, श्री रमेश खटेड, श्री प्रवीण बाबेल, श्री महावीर गिरिया, श्री अलंकार आच्छा, श्री रमेश डागा
श्री रमेश सुतरिया				
24.7.2011	केसिंगा	साध्वीश्री डॉ. कुन्दनरेखाजी	उडीसा प्रांतीय संगठन कार्यशाला	श्री प्रफुल्ल बेताला, श्री प्रवीण पुगलिया, श्री बिकास जैन

शाखा परिषदों के लिए आगामी करणीय कार्य

कार्यक्रम	दिनांक	संयोजक	प्रभारी	पर्यवेक्षक
प्रतिभा सम्मान समारोह	अगस्त 2011	राकेश आच्छा		सलिल लोढ़ा
किशोर मण्डल संगोष्ठी - प्रश्न आपके जवाब चारित्रात्माओं के	अगस्त 2011	विनोद माण्डोत	अनिल सांखला	प्रफुल्ल बेताला
जैन विद्या कार्यशाला	01 अगस्त 2011 से प्रारम्भ		अशोक डागा	निलेश बैद
कार्यकारिणी बैठक - केलवा में	05 अगस्त 2011			
कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला	6-7 अगस्त 2011	निलेश बैद		
अभिनव सामायिक	07 अगस्त 2011	कैलाश बोराणा		प्रफुल्ल बेताला
तेरापंथ टेलिफ्ट हण्ट आवेदन पत्र अंतिम तिथि	10 अगस्त 2011	सुनीत सेठिया		प्रफुल्ल बेताला
नशा मुक्ति कार्यशाला	14 अगस्त 2011	निर्मल गोखरू		अविनाश नाहर
महामंत्री द्वारा प्रतिवेदन प्राप्ति अंतिम तिथि (प्रभासीयों द्वारा)	15 अगस्त 2011			
आचार्य महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार नामांकन अंतिम तिथि	15 अगस्त 2011			
आचार्य महाश्रमण व्यक्तित्व पुरस्कार नामांकन अंतिम तिथि	15 अगस्त 2011			
जैन विद्या कार्यशाला परीक्षा	21 अगस्त 2011		अशोक डागा	निलेश बैद
विश्व विद्यालय कार्यशाला	21 अगस्त 2011		रमेश पटावरी	निलेश बैद
प्रकाशन ग्राहक अभियान	26 अगस्त से 5 सितम्बर		नरेन्द्र नाहटा	संजय खटेड़
किशोर मण्डल - सामाजिक सेवा कार्य	सितम्बर 2011	पीयूष सालेचा	अनिल सांखला	प्रफुल्ल बेताला
किशोर मण्डल - पच्चीस बोल कण्ठस्थ प्रतियोगिता	सितम्बर 2011		अनिल सांखला	प्रफुल्ल बेताला
तेरापंथ टेलिफ्ट हण्ट प्रतियोगिता	04 सितम्बर 2011	सुनीत सेठिया	अनिल सांखला	प्रफुल्ल बेताला
आचार्य महाश्रमण व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व कार्यशाला	11 सितम्बर 2011	मुकेश कोठारी		संजय खटेड़
जीवन विज्ञान कार्यशाला (तेरापंथी बच्चों के लिए)	18 सितम्बर 2011		मुकेश गुगलिया	सलिल लोढ़ा
जैन संस्कार विधि कार्यशाला	25 सितम्बर 2011		बजरंग सेठिया	तुलसी दूगड़
युवा गौरव सम्मान - नामांकन अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2011			
सेवा व्रती सम्मान - नामांकन अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2011			
जीवन विज्ञान संस्कार निर्माण परीक्षा - 2011	30 सितम्बर 2011	मुकेश गुगलिया		सलिल लोढ़ा
अमृत महोत्सव - भाषण प्रतियोगिता	11 से 17 सितम्बर 2011		रमेश खटेड़	निलेश बैद
अमृत महोत्सव - संगीत प्रतियोगिता	18 से 24 सितम्बर 2011		रमेश खटेड़	निलेश बैद
किशोर मण्डल - व्यक्तित्व विकास कार्यशाला	अक्टूबर 2011	निर्मल कुमठ	अनिल सांखला	प्रफुल्ल बेताला
स्वच्छता अभियान	02 अक्टूबर 2011	बसन्त पटावरी		तुलसी दूगड़
कार्यकारिणी बैठक - केलवा में	04 नवम्बर 2011			
45वां वार्षिक अधिवेशन	5-6-7 नवम्बर 2011	प्रफुल्ल बेताला		

परिषदों द्वारा अन्य करणीय कार्यों के बारे में आपको समय-समय पर सूचित किया जाएगा।

केलवा चातुर्मास प्रवास में पंचाचार प्रशिक्षण कार्यशाला

तेरापंथ उद्गम स्थली में पूज्यप्रवर के चातुर्मासिक प्रवास के दौरान अभातेयुप ने युवा साथियों को प्रशिक्षण का लाभ पूज्यवरों की पावन सन्निधि में प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंचाचार प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है :-

1. प्रशिक्षण का क्रम सात दिवसीय होगा, प्रति सोमवार से रविवार।
2. 20 युवकों का ग्रुप (प्रत्येक शाखा परिषद् से अधिकतम 10 सदस्यों का समावेश, कुल 20 युवकों का ग्रुप)
3. एक ग्रुप के साथ एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य या क्षेत्रीय सहयोगी भी उपस्थित रहेगा। साथ ही पदाधिकारियों द्वारा सार-सम्भाल भी होगी।
4. आवश्यकतानुसार सेवा का दायित्व निर्वहन।
5. विभिन्न विषयों पर सुनियोजित एवं समयबद्ध प्रशिक्षण।
6. संभागियों की आवास एवं भोजन व्यवस्था अभातेयुप द्वारा की जाएगी।
7. पंजीयन शुल्क ₹ 750 प्रति संभागी होगा।
8. दायित्व प्रारम्भ होने से पूर्व सन्ध्या तक ग्रुप को पहुंचना होगा, यानि रविवार सायं को रिपोर्ट करना होगा।

आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी युवा साथी इसमें पूर्ण सजगता एवं दायित्व बोध के साथ अपना सहयोग एवं सहभागिता दर्ज करायेंगे।

अपनी तारीख अग्रिम बुकिंग हेतु सम्पर्क करें। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

महामंत्री

रमेश सुतरिया

मो. 93242 21648

संयोजक

सलिल लोढ़ा

मो. 98201 49302

सह-संयोजक

रमेश सोनी

मो. 94141 71353

सह-संयोजक

दिनेश कोठारी

मो. 94141 74021

जैन विद्या कार्यशाला

- ✿ अभातेयुप एवं समण संस्कृति संकाय के तत्वावधान में आयोजित जैन विद्या कार्यशाला दि. **1 अगस्त 2011** से प्रारम्भ होगी।
- ✿ यह कार्यशाला देश भर में विराजित चारित्रात्माओं, समण-समणियों के सान्निध्य में शाखा परिषदों द्वारा आयोजित होगी।
- ✿ जहां पर चारित्रात्माओं का सान्निध्य न हो, वहां शाखा परिषदों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक के निर्देशन में सम्पादित की जा सकती है।
- ✿ कार्यशाला के 15 कार्य दिवस रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन कक्षाएं चलेगी।
- ✿ कार्यशाला में समाज के प्रत्येक भाई-बहन भाग ले सकते हैं।
- ✿ कार्यशाला की परीक्षा दि. **21 अगस्त 2011** को मध्याह्न 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी।
- ✿ इस कार्यशाला का पाठ्यक्रम समण संस्कृति संकाय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- ✿ इसके प्रश्न-पत्र केन्द्र से बनकर आएंगे।
- ✿ राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट के आधार पर संभागियों में प्रथम दस को सम्मानित किया जाएगा।
- ✿ सभी उत्तीर्ण संभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

पर्यवेक्षक
निलेश कुमार बैद
सहमंत्री प्रथम
98400 53956

निदेशक
पन्नालाल पुगलिया
समण संस्कृति संकाय (जैन विश्व भारती)
98295 41396

प्रभारी
अशोक डागा
जैन विद्या प्रभारी
98410 69123

प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम

अगस्त 2011 में सभी शाखा परिषदों द्वारा स्थानीय स्तर पर दसवीं, बारहवीं, स्नातक और स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाए, ऐसा निर्णय अभातेयुप ने लिया है। सभी शाखा परिषदों से अनुरोध कि स्थानीय स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित करें। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

पर्यवेक्षक
सलिल लोढ़ा
मो. 98201 49302

संयोजक
राकेश आच्छा
मो. 99695 42975

कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला

अभातेयुप की शाखा परिषदों के लिए आगामी **6-7 अगस्त 2011** को केलवा में **आचार्य श्री महाश्रमणजी** के पावन सान्निध्य में कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। सभी शाखा परिषदों से अनुरोध है कि परिषद् के वर्ष 2011-2012 के आठ पदाधिकारियों में से ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। संभागी गणवेश का विशेष ध्यान रखें। संभागी सामायिक उपकरण तथा ताला-चाबी अवश्य साथ में लाएं। कार्यशाला शुल्क प्रति संभागी ₹ 400 रखा गया है। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

संयोजक
निलेश कुमार बैद मो. 98400 53956

अभिनव सामायिक कार्यक्रम

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी अभातेयुप ने **7 अगस्त 2011** को देश भर में **अभिनव सामायिक** आयोजित करने का निर्णय लिया है। सभी शाखा परिषदें इस दिन अपने-अपने क्षेत्र में अभिनव सामायिक श्रावक-श्राविकाओं के मध्य अनिवार्य रूप से कराएं। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

पर्यवेक्षक
प्रफुल्ल बेताला
मो. 93372 67213

संयोजक
कैलाश बोराणा
मो. 98455 02718

नशा मुक्ति कार्यशाला

अभातेयुप ने **14 अगस्त 2011** को देश भर में सभी शाखा परिषदों के माध्यम से **नशा मुक्ति कार्यशाला** के समायोजन का निर्णय लिया है। सभी शाखा परिषदें इस दिन अपने-अपने क्षेत्र में एक दिवसीय कार्यशाला अवश्य आयोजित करें। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

पर्यवेक्षक
अविनाश नाहर
मो. 98290 60328

संयोजक
निर्मल गोखरू
मो. 94141 15066

विश्व विद्यालय कार्यशाला

दि. 21 अगस्त 2011 को देश भर की विभिन्न शाखा परिषदों के माध्यम से जैन विश्व भारती संस्थान लाडनूँ के पाठ्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आपको एक सी.डी. भेजी जाएगी जिसे कार्यशाला में बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करना आवश्यक है। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

पर्यवेक्षक	प्रभारी
निलेश बैद	रमेश पटावरी
मो. 98400 53956	मो. 94426 00853

किशोरों एवं कन्याओं के लिए टेलेन्ट हण्ट प्रतियोगिता

तेरापंथ समाज की प्रतिभाओं को खोजने के लिए अभातेयुप 13 वर्ष से 21 वर्ष तक के तेरापंथी किशोरों एवं कन्याओं के लिए **टेलेन्ट हण्ट प्रतियोगिता** का आयोजन **रविवार, 4 सितम्बर 2011** को कर रही है। सभी शाखा परिषदों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक किशोरों एवं कन्याओं को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। यह प्रतियोगिता अंग्रेजी, गणित, बौद्धिक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान तथा जैन विद्या परीक्षा भाग 1 पर आधारित होगी तथा इसमें प्रतियोगियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा रहा है :- नवमी कक्षा तक के बच्चों के लिए, दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए तथा बारहवीं से ऊपर की कक्षाओं के बच्चों के लिए।

विस्तृत जानकारी आपको अलग परिपत्र में दी जा चुकी है। पंजीयन की अंतिम तिथि **10 अगस्त 2011** है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को क्रमशः लेपटॉप, मोबाईल फोन एवं रिस्ट वॉच प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य वरीयता प्राप्त दस प्रतियोगियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

किशोर मण्डल पर्यवेक्षक	किशोर मण्डल प्रभारी	संयोजक
प्रफुल्ल बेताला	अनिल सांखला	सुनीत सेठिया
मो. 93372 67213	मो. 98230 95738	मो. 94253 26401

आचार्य महाश्रमण व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व कार्यशाला

अ.भा.ते.यु.प. ने दि. 11 सितम्बर 2011 को देश भर की सभी शाखा परिषदों के माध्यम से आचार्य महाश्रमण अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर **आचार्य महाश्रमण व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व कार्यशाला** के आयोजन का निर्णय लिया गया है। सभी शाखा परिषदें इस दिन अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्यशाला का आयोजन अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

पर्यवेक्षक	संयोजक
संजय खटेड़	मुकेश कोठारी
मो. 98102 39149	मो. 98799 39625

जीवन विज्ञान कार्यशाला

जीवन विज्ञान दिवस के अवसर पर दि. 18 सितम्बर 2011 को अ.भा.ते.यु.प. द्वारा बच्चों के लिए **जीवन विज्ञान कार्यशाला** के समायोजन का निर्णय लिया गया है। सभी शाखा परिषदें इस दिन अपने-अपने क्षेत्र में एक दिवसीय कार्यशाला का अवश्य आयोजन करें। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क :-

पर्यवेक्षक	संयोजक
सलिल लोढ़ा	मुकेश गुगलिया
मो. 98201 49302	मो. 98254 51442

शाखा परिषद् द्वारा सहभागियों की सूची

सभी शाखा परिषदों से अनुरोध है कि **1.11.2009** से **30.9.2011** की अवधि के मध्य जैन विद्या परीक्षा, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय परीक्षा, ज्ञानशाला प्रशिक्षक परीक्षा, जैन संस्कारक, बारह व्रती, उपासक शिविर आदि में सहभागी बने युवकों की सूची बना कर दि. 10.10.2011 तक निम्न प्रभारियों तक अवश्य पहुंच जाए।

जैन विद्या परीक्षा	- श्री अशोक डागा
जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय परीक्षा	- श्री रमेश पटावरी
ज्ञानशाला प्रशिक्षक परीक्षा	- श्री ललित मांडोट
उपासक	- श्री अनिल चिण्डालिया
जैन संस्कारक	- श्री बजरंग सेठिया
बारह व्रती युवक	- श्री प्रदीप बोथरा

सभी प्रभारी उस रिपोर्ट को अध्यक्षीय कार्यालय में दि. 15.10.2011 तक अवश्य पहुंचा दें।

पुरस्कार हेतु अर्हताएं / पात्रता / मूल्यांकन के बिन्दु

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् विभिन्न पुरस्कारों एवं संबोधनों से युवकों एवं चयनित प्रतिभाओं को पुरस्कृत करती आ रही है। इस वर्ष भी **सेवाव्रती, युवा गौरव, आचार्य महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार** एवं **आचार्य महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार** के लिए प्रविष्टियां सादर आमंत्रित कर रही है। इनकी अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :-

आचार्य महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार

1. 35 से 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति
2. तेरापंथ धर्मसंघ एवं संघपति के प्रति पूर्ण आस्था एवं निष्ठा
3. नैतिकता एवं प्रामाणिकता
4. व्यसनमुक्ति
5. अध्यात्म, शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, व्यवसाय, प्रशासन आदि किसी भी क्षेत्र में विशेष प्रतिभा व योगदान

आचार्य महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार

1. 45 वर्ष तक की आयु का तेरापंथी
2. तेरापंथ धर्मसंघ एवं संघपति के प्रति पूर्ण आस्था एवं निष्ठा
3. नैतिकता एवं प्रामाणिकता
4. व्यसनमुक्ति
5. अध्यात्म, शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति, प्रशासन आदि किसी भी क्षेत्र में विशेष प्रतिभा व योगदान

सेवाव्रती

1. 35 से 45 वर्ष की आयु का तेरापंथी युवक
2. तेरापंथ धर्मसंघ एवं संघपति के प्रति पूर्ण आस्था एवं निष्ठा
3. पंचशील के प्रति आस्था :- 1. श्रद्धाशील 2. सहनशील 3. विचारशील 4. कर्मशील 5. चरित्रशील
4. नैतिकता एवं प्रामाणिकता
5. व्यसनमुक्ति
6. जैन धर्म एवं तेरापंथ धर्म की न्यूनतम जानकारी
7. संघीय कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता के साथ जीवनपर्यन्त संघ सेवा की उत्कृष्ट भावना व संकल्प

युवा गौरव

1. 35 से 45 वर्ष की आयु का तेरापंथी युवक
2. तेरापंथ धर्मसंघ एवं संघपति के प्रति पूर्ण आस्था एवं निष्ठा
3. पंचशील के प्रति आस्था :- 1. श्रद्धाशील 2. सहनशील 3. विचारशील 4. कर्मशील 5. चरित्रशील
4. नैतिकता एवं प्रामाणिकता
5. व्यसनमुक्ति
6. तेयुप के उद्देश्यों - सेवा, संस्कार, संगठन - की प्राप्ति में सक्रिय सहयोग
7. तेयुप के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय
8. अध्यात्म, शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, व्यवसाय, प्रशासन आदि किसी भी क्षेत्र में विशेष प्रतिभा व योगदान

सभी शाखा परिषदों से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र से आचार्य महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार एवं आचार्य महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां **15 अगस्त 2011 तक** एवं सेवाव्रती एवं युवा गौरव के लिए प्रविष्टियां **30 सितम्बर 2011 तक** महामंत्री कार्यालय में पहुंचाएं। इसके बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। कृपया पूरा बाँयो-डाटा, फोटो एवं विशेष जानकारी के साथ प्रविष्टियां भेजी जानी चाहिए। प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजें :-

Ramesh C. Jain & Co. Chartered Accountants, Office No. 20, 2nd Floor, 563 New Mill Road, Kurla (West), Mumbai - 400 070.

अभातेयुप परिवार में नियुक्ति

कार्यसमिति सदस्य : **श्री नवीन वागरेचा, N. Vagrecha & Co., 24, I Floor, Badal Textile Market, Pur Road, Bhilwara 331 001. Ph : 94141123047**

शाखा परिषद् द्वारा सेवा-संस्कार-संगठन में कृत कार्यों की फोटो

सभी शाखा परिषदों से अनुरोध है कि **1.11.2009** से **30.9.2011** की अवधि के मध्य आयोजित सेवा-संस्कार-संगठन क्षेत्र एवं अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रमों के 18 फोटो की सी.डी. या मूल प्रति महामंत्री कार्यालय में **दि. 10.10.2011** तक अवश्य भिजवाएं। उपरोक्त फोटो कोई विशेष कार्यक्रम या उल्लेखनीय कार्य से सम्बन्धित ही हो। फोटो भेजने का पता :

Ramesh C. Jain & Co. Chartered Accountants, Office No. 20, 2nd Floor, 563 New Mill Road, Kurla (West), Mumbai - 400 070.

Ph : 022-26521648, 26522058 Mobile : 09324221648 Email : rcjain.ca@gmail.com

पुरस्कार चयन समिति

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् द्वारा इस वर्ष **सेवाव्रती, युवा गौरव, आचार्य महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार एवं आचार्य महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार** के निम्न चयन समितियां गठित की गई हैं :-

आचार्य महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार

श्री नवरतन गिड़िया
श्री कमल दूगड़
श्री राजेन्द्र सेठिया
श्री अविनाश नाहर
श्री सलिल लोढ़ा

आचार्य महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार

श्री सुरेन्द्र दूगड़
श्री गौतम चोरड़िया
श्री रतन दूगड़
श्री संजय खटेड़
श्री निलेश कुमार बैद

सेवाव्रती

श्री पन्नालाल टाटिया
श्री निर्मल के. जैन
डॉ. महेन्द्र कर्णावट
श्री मर्यादा कुमार कोठारी
श्री प्रफुल्ल बेताला

युवा गौरव

श्री बजरंग जैन
श्री किशन डागलिया
श्री ज्ञानचन्द आंचलिया
श्री दीपचन्द नाहर
श्री तुलसी कुमार दूगड़

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री उपरोक्त सभी चयन समितियों के पदेन सदस्य होंगे।

प्रकाशन ग्राहक अभियान में विशेष छूट

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् इस वर्ष **पर्युषण पर्व के दौरान दि. 25 अगस्त से 5 सितम्बर तक प्रकाशन ग्राहक अभियान** के अंतर्गत तेरापंथ टाइम्स एवं युवादृष्टि के वार्षिक, त्रैवार्षिक और आजीवन सदस्यता शुल्क में **35% की छूट** प्रदान कर रही है। **5 सितम्बर 2011** तक बैंक में राशि जमा करानी आवश्यक होगी। सभी शाखा परिषदों से अनुरोध है कि इस अभियान का लाभ अधिकाधिक श्रावक-श्राविकाओं तक पहुंचाएं। इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निम्न युवा साथियों को दायित्व सौंपा गया है :-

आन्ध्र प्रदेश	श्री राजेन्द्र बोथरा	9391033016	बेंगलूर	श्री राजेश चावत	9880208600
तमिलनाडु	श्री रेख धोका	9444388388	दिल्ली	श्री नितेश बैद	9312255404
कर्णाटक	श्री जितेन्द्र पालगोता	9448375063	कोलकाता	श्री बसन्त पटावरी	9831164663
केरल	श्री रमेश पटावरी	9442600853	मुम्बई	श्री राजेन्द्र मुणोत	9833869950
उड़ीसा	श्री बिकास जैन	9937526636	अहमदाबाद	श्री मुकेश कोठारी	9879939625
बिहार	श्री अमित नाहटा	9931708149	सूरत	श्री विजय पालगोता	9327921049
पश्चिम बंगाल	श्री सुनील दूगड़	9831038394	जयपुर	श्री सुधीर गंग	9414075249
आसाम	श्री बसन्त पटावरी	9831164663	चेन्नई	श्री प्रवीण बाबेल	9444169501
नेपाल	श्री तरुण संचेती	+9779852020190	हैदराबाद	श्री हनुमान लुंकड़	9448190343
मेघालय-नागालेण्ड-त्रिपुरा	श्री सुशील भंसाली	9434113244	जोधपुर संभाग	श्री ललित जीरावला	9414108309
उत्तर प्रदेश	श्री विजय नाहटा	9810733542	बीकानेर संभाग	श्री धर्मेन्द्र डाकलिया	9414137580
पंजाब	श्री राकेश गर्ग	9815613150	उदयपुर संभाग	श्री कमलेश बोहरा	9460362948
हरियाणा	श्री गौरव जैन	9355515213	अजमेर संभाग	श्री नवीन बागरेचा	9141412304
महाराष्ट्र	श्री कैलाश कोठारी	9422458271	कोटा संभाग	श्री नवीन बांठिया	9314881564
गुजरात	श्री अशोक बोहरा	9426873221			
मध्य प्रदेश	श्री पवन भण्डारी	9425101298			
झारखण्ड-छत्तीसगढ़	श्री विकास सिपानी	9300204902			

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-
पर्यवेक्षक प्रभारी

संजय खटेड़

नरेन्द्र नाहटा

मो. 98102 39149

मो. 92464 75046

जीवन विज्ञान संस्कार निर्माण प्रतियोगिता 2011

आचार्य महाश्रमण अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर जीवन विज्ञान अकादमी द्वारा **जीवन विज्ञान संस्कार निर्माण प्रतियोगिता 2011** का आयोजन किया गया है। इसके प्रचार-प्रसार का दायित्व अभातेयुप को सौंपा गया है। सभी शाखा परिषदों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचार करें। प्रतियोगिता हेतु शुल्क ₹ 100 रखा गया है। उत्तर पुस्तिका जमा कराने की अंतिम तिथि **30 सितम्बर 2011** है। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

पर्यवेक्षक

संयोजक

सलिल लोढ़ा

मुकेश गुगलिया

मो. 98201 49302

मो. 98254 51442

जुलाई 2011 - तत्त्वज्ञान / प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

1. कौन सी चार चीजें दुर्लभ हैं ?
2. कौन से चारित्र के जीव ज्यादा हैं ?
3. सिद्ध लोक में है या अलोक में ?
4. क्या भगवान पुनः अवतार लेते हैं ?
5. बंध तथा पुण्य-पाप में क्या अन्तर है ?
6. कितने गुणस्थान अमर है ? (अमर अर्थात् वे गुणस्थान जिसमें जीव मरता नहीं)
7. कौन सी गति से आया हुआ जीव साधु बन सकता है ?
8. क्या दीक्षा लिए बिना मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ?
9. आचार्य प्रतिक्रमण करते हैं या नहीं ?
10. तेरापंथ में कौन सी साध्वी का शरीर दाह-संस्कार के समय गायब हो गया ?
11. वदनांजी ने किनका स्वप्न देखा ?
12. कनकप्रभाजी अपनी दीक्षा के कितने वर्षों बाद साध्वीप्रमुखा पद पर आसीन हुई ?
13. कितने आचार्यों ने अपनी माता के साथ दीक्षा स्वीकार की ? नाम बताएं।
14. अमृत संसद की स्थापना कब हुई ?
15. कौन से मुनि को आचार्य भिक्षु की समस्त रचनाएं कंठस्थ थीं ?
16. अव्यवहार राशि में किस काय के जीव आते हैं ?
17. क्या उपाध्याय पद स्वतः लिया जा सकता है ?
18. तेरापंथ में पचरंगी तप व सतरंगी तप का प्रारम्भ कब, कहाँ हुआ ? इसकी शुरुआत किन्होंने कराई ?
19. कविता संग्रह 'सांसों का इकतारा' किनके द्वारा लिखी गई ?
20. ऊंचे लोक में कौन रहते हैं ?

प्रतियोगिता में कोई भी भाई-बहिन भाग ले सकते हैं। निर्णायक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

प्रतियोगी अपने उत्तर फुल साइज पेपर पर शुद्ध एवं स्वच्छ लिखें।

उत्तर पूर्ण विवरण (नाम, पता, फोन नम्बर यथा संभव मोबाइल नम्बर) के साथ दिनांक 31 अगस्त 2011 तक निम्न पते पर भेजें :-

SMT. NIRMALA SUTARIA, Flat No. 2, Pankaj CHS Ltd., Vakola Bridge, Santacruz (E), Mumbai - 400 055. Ph : 022-26686365

अप्रैल 2011 - तत्त्वज्ञान / प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के उत्तर

1. इंस्टीट्यूट ऑफ जैनेलोजी लन्दन द्वारा आचार्य श्री महाप्रज्ञजी को सन् 2008 में
2. साध्वीप्रमुखाश्री कनकप्रभाजी
3. रायचन्द्रजी, जयाचार्यजी, मधवागणी, डालगणी, कालूगणी, आचार्य तुलसी एवं आचार्य महाप्रज्ञजी की माताओं ने
4. वि.सं. 2022, कार्तिक शुक्ला 11 (4 नवम्बर 1965) महरौली, दिल्ली में
5. कोई सा नहीं
6. सबसे बड़ा - भगवान ऋषभनाथ का - एक हजार वर्ष
सबसे छोटा - भगवान मल्लिनाथ - डेढ़ प्रहर का
7. हां। 'णमो लोए सव्वसाहूण' पद में (भाव से)। वैसे गुरु अपने से रत्नाधिक साधु को भी वन्दना करते हैं।
8. तीर्थंकर भगवान के प्रवचन स्थल को।
9. शरीर और चेतना (आत्मा) को अलग-अलग अनुभव करना
10. नारक, मनुष्य, देवता, तिर्यन्च पंचेन्द्रिय
11. ऐसे चिकने कर्म जो भोगे बिना नहीं छूटते
12. गर्म तेल से बना होने पर तीन दिन में, पानी का आचार - सात दिन में
13. मुनि अमीचन्द्रजी
14. कोई भी नहीं
15. सिद्ध जीव
16. लोक में 6 द्रव्य - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय एवं जीवास्तिकाय। अलोक में एक आकाशास्तिकाय
17. तेजस और कर्मण शरीर
18. असंख्यात
19. 8 वर्ष 4 महीने 12 दिन तक
20. ज्ञान दान, संयति दान, अभयदान

अप्रैल 2011 - तत्त्वज्ञान / प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के परिणाम

सर्वप्रथम सभी संभागियों को बहुत-बहुत साधुवाद जिन्होंने पूरी लगन के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी जागरूकता का परिचय दिया।

तत्त्वज्ञान / प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अप्रैल 2011 के परिणाम निम्न हैं -

प्रथम - चन्दा डुंगरवाल, ईरोड

द्वितीय - सुनीता सांड, कालू-बीकानेर

तृतीय - विमला देवी सुराणा, किशनगंज

पाथेय पर आधारित प्रतियोगिता - जुलाई 2011

वर्ष 2010 में आयोजित अ.भा.ते.यु.प. वार्षिक अधिवेशन कौन सा था ?

A) 40वां B) 44वां C) 39वां

सही उत्तर **98400 53956** पर SMS कर दें। अंतिम तिथि : **20 अगस्त 2011**

प्रतियोगी अपने विकल्प उत्तर के साथ अपना नाम और क्षेत्र का नाम भी साथ में अवश्य भेजें। (Eg. **PATHEY JULY A/B/C NILESH CHENNAI**)

इस प्रतियोगिता में तेयुप परिषदों के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

पाथेय पर आधारित प्रतियोगिता के परिणाम

पाथेय पर आधारित प्रतियोगिता मई 2011 का सही उत्तर है : A) 9.1.2011. विजेता निम्न हैं -

प्रथम - आकाश, असाडा

द्वितीय - बजरंग सांड, कालू

तृतीय - अमृतलाल बुरड, अहमदाबाद

पाथेय पर आधारित प्रतियोगिता जून 2011 का सही उत्तर है : A) प्रफुल्ल बेताला. विजेता निम्न हैं -

प्रथम - प्रवीण जैन, जिन्द

द्वितीय - बीरेन्द्र, तुसरा

तृतीय - कमलेश कोठारी, गोगुन्दा

प्रस्तावित शाखा परिषद् संविधान संशोधन

3. संगठन एवं नियंत्रण :-

वर्तमान यह संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की शाखा परिषद् के रूप में कार्य करेगी।

संशोधन यह संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की शाखा परिषद् के रूप में कार्य करेगी एवं उनके विधान एवं नियमोपनियम से बाध्य होगी।

नियमोपनियम

1. परिभाषाएं :-

वर्तमान (च) युवक से अभिप्राय 21 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष तक उम्र के युवक से होगा।

संशोधन (च) युवक से अभिप्राय 21 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष तक की उम्र के युवक से होगा।

वर्तमान (ज) आजीवन सदस्यता से अभिप्राय 45 वर्ष की आयु सीमा प्राप्ति तक की सदस्यता से होगा। 45 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक साधारण सभा तक वह सदस्य रहेगा।

संशोधन (ज) आजीवन सदस्यता से अभिप्राय 45 वर्ष की आयु सीमा प्राप्ति तक की सदस्यता से होगा। 45 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी वार्षिक साधारण सभा तक वह सदस्य रहेगा।

वर्तमान (झ) वार्षिक सदस्य से अभिप्राय प्रति वर्ष बनने वाले सदस्य से होगा, जिसकी सदस्यता आगामी 31 मार्च तक रहेगी।

संशोधन (झ) वार्षिक सदस्य से अभिप्राय प्रति वर्ष बनने वाले सदस्य से होगा, जिसकी सदस्यता आगामी 31 मार्च तक रहेगी। उक्त वर्ष में 45 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी वार्षिक साधारण सभा तक सदस्य रहेगा।

3. सदस्यता शुल्क :-

वर्तमान (क) शाखा परिषद् का सदस्यता शुल्क कम से कम पचास रुपये वार्षिक होगा। सदस्यता शुल्क में परिवर्तन का अधिकार साधारण सदन को होगा।

संशोधन (क) शाखा परिषद् का सदस्यता शुल्क कम से कम पचास रुपये एवं अधिक से अधिक पांच सौ रुपए वार्षिक होगा। सदस्यता शुल्क में परिवर्तन का अधिकार साधारण सदन को होगा।

6. साधारण सदन :-

वर्तमान (ग) वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट को स्वीकार करना।

संशोधन (ग) वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट को हूबहू अथवा संशोधन के साथ स्वीकार करना।

परिवर्द्धन (झ) कार्यसमिति द्वारा पारित विधान में संशोधन के सुझाव पारित कर केन्द्रीय परिषद् को भेजना।

परिवर्द्धन (ञ) कार्यसमिति द्वारा पारित किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोष का निर्माण करना, न्यास मण्डल का गठन करना, ट्रस्ट बनाना।

7. साधारण सदन की कार्य प्रणाली :-

वर्तमान (क) साधारण सदन की बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी। सूचना में बैठक या अधिवेशन की तारीख, स्थान, समय और कार्य-सूची का उल्लेख होगा। कार्यतम उपस्थिति (कोरम) के अभाव में स्थगित बैठक उसी स्थान पर आधे घंटे पश्चात् पूर्व सूचना के अनुसार हो सकेगी।

संशोधन (क) साधारण सदन की बैठक की सूचना पत्र सम्प्रेषण तथा साधारण सदन की बैठक की तिथि को छोड़ कर कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी। सूचना में बैठक या अधिवेशन की तारीख, स्थान, समय और कार्य-सूची का उल्लेख होगा। कार्यतम उपस्थिति (कोरम) के अभाव में स्थगित बैठक उसी स्थान पर आधे घंटे पश्चात् पूर्व सूचना के अनुसार हो सकेगी।

वर्तमान (ख) साधारण सदन की बैठक की सूचना लिखित रूप से अथवा शाखा परिषद् कार्यालय के सूचना-पट्ट में लिखकर अथवा अन्य माध्यम से सदस्यों को प्रेषित करनी होगी। सूचना देरी से मिलने या नहीं मिलने के कारण बैठक व उसमें हुई कार्यवाही तथा स्वीकृत/पारित प्रस्ताव अमान्य नहीं समझे जाएंगे।

संशोधन (ख) साधारण सदन की बैठक की सूचना शाखा परिषद् कार्यालय के सूचना-पट्ट में लिखकर अथवा लिखित रूप से डाक, कोरियर या अन्य माध्यम से सदस्यों को प्रेषित करनी होगी। सूचना देरी से मिलने या नहीं मिलने के कारण बैठक व उसमें हुई कार्यवाही तथा स्वीकृत/पारित प्रस्ताव अमान्य नहीं समझे जाएंगे।

वर्तमान (ग) साधारण सदन की वार्षिक सभा 1 जून से 30 जून तक बुलाना एवं चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। 30 जून तक चुनाव नहीं कराने पर

राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिखित निर्देश पर स्थानीय शाखा प्रभारी कार्यभार लेकर अन्तरिम व्यवस्था करेगा तथा 15 (दिनों के अंदर) चुनाव सम्पन्न कराएगा। 30 जून को शाखा परिषद् का वार्षिक कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

संशोधन (ग) साधारण सदन की वार्षिक बैठक या अधिवेशन जून माह (1 जून से 30 जून) के भीतर बुलानी आवश्यक होगी एवं चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। 30 जून तक चुनाव नहीं कराने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिखित निर्देश पर स्थानीय शाखा प्रभारी कार्यभार लेकर अन्तरिम व्यवस्था करेगा तथा 15 जुलाई तक चुनाव सम्पन्न कराएगा। 30 जून को अध्यक्ष का वार्षिक कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और कार्यसमिति स्वतः ही भंग हो जाएगी।

परिवर्द्धन (ज) अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार साधारण सदन को ही होगा। ऐसा निर्णय उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से ही होगा।

8. पदाधिकारी :-

वर्तमान अध्यक्ष बनने के लिए सदस्य को तेयुप की उसी शाखा का एक कार्यकाल तक कार्यकारिणी सदस्य का अनुभव होना जरूरी है। किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्रीय पंचमंडल/पर्यवेक्षक का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

संशोधन अध्यक्ष बनने के लिए सदस्य को तेयुप की उसी शाखा का दो कार्यकाल के कार्यकारिणी सदस्य का अनुभव होना जरूरी है। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्राप्त अनुभव मान्य नहीं होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

9. कार्यसमिति :-

वर्तमान (क) कार्यसमिति के कम से कम 13 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष सहित आठ पदेन सदस्य होंगे। जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (प्रथम), उपाध्यक्ष (द्वितीय), मंत्री, सहमंत्री (प्रथम), सहमंत्री (द्वितीय), कोषाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री होंगे। अध्यक्ष के अतिरिक्त सात पदेन सदस्य व अन्य सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। निवर्तमान अध्यक्ष अनिवार्य रूप से कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित रहेगा। कार्यसमिति के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से शाखा परिषद् का सदस्य होना होगा। कार्यसमिति में कोई स्थान रिक्त होने पर भी वह पूर्णतया गठित समझी जाएगी।

संशोधन (क) कार्यसमिति में कम से कम 13 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष सहित आठ पदाधिकारी होंगे (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (प्रथम), उपाध्यक्ष (द्वितीय), मंत्री, सहमंत्री (प्रथम), सहमंत्री (द्वितीय), कोषाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री)। अध्यक्ष के अतिरिक्त सात पदाधिकारी व अन्य सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। निवर्तमान अध्यक्ष अनिवार्य रूप से कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित रहेगा। कार्यसमिति के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से शाखा परिषद् का सदस्य होना होगा। कार्यसमिति में कोई स्थान रिक्त होने पर भी वह पूर्णतया गठित समझी जाएगी। केन्द्रीय परिषद् से जुड़े हुए स्थानीय व्यक्ति कार्यसमिति में अनिवार्य रूप से विशेष आमंत्रित / कार्यसमिति सदस्य / प्रभारी / पदाधिकारी / परामर्शक होंगे।

परिवर्द्धन (कक) निवर्तमान अध्यक्ष एवं केन्द्रीय परिषद् से जुड़े स्थानीय व्यक्ति ही कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। स्थानीय शाखा परिषद् के सदस्य होने की स्थिति में उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

वर्तमान (ख) कार्यसमिति का कार्यकाल अध्यक्षीय कार्यकाल की अवधि होगा।

संशोधन (ख) कार्यसमिति का कार्यकाल अध्यक्षीय कार्यकाल की अवधि तक ही होगा।

वर्तमान (ग) कार्यसमिति सदस्यों की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या 100 तक होने पर 21 (इक्कीस), 300 तक होने पर 41 (इकतालीस) तथा 500 तक होने पर 51 (इक्यावन) तथा 500 से अधिक होने पर 61 (इकसठ) हो सकती है।

संशोधन (ग) कार्यसमिति सदस्यों की अधिकतम संख्या (विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा) कुल सदस्य संख्या 100 तक होने पर 21 (इक्कीस), 300 तक होने पर 41 (इकतालीस) तथा 500 तक होने पर 51 (इक्यावन) तथा 500 से अधिक होने पर 61 (इकसठ) हो सकती है।

10. कार्यसमिति के कर्तव्य और अधिकार :-

वर्तमान (घ) शाखा परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भेंट, चन्दा अथवा चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करना व न्यास मण्डल का गठन करना।

संशोधन (घ) शाखा परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भेंट, चन्दा अथवा चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

परिवर्द्धन (घघ) न्यास का गठन करना। प्रति वर्ष के कार्यसमिति के सभी सदस्य उक्त न्यास के न्यासी होंगे। प्रति वर्ष शाखा परिषद् का अध्यक्ष न्यास का मुख्य न्यासी होगा।

वर्तमान (झ) आवश्यकतानुसार शाखा परिषद् के लिए भूमि अथवा अन्य चल-अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय करने का निर्णय करना।

संशोधन (झ) आवश्यकतानुसार शाखा परिषद् के लिए अचल सम्पत्ति का क्रय अथवा अन्य चल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करने का निर्णय करना।

अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार साधारण सदन को ही होगा।

परिवर्द्धन (ठ) केन्द्रीय परिषद् द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना।

11. कार्यकारिणी की बैठक (कार्य प्रणाली) :-

- वर्तमान (क) कार्यसमिति की बैठक की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी। सूचना में दिनांक, समय, स्थान व कार्य-सूची अंकित रहेगी। बैठक की कार्यवाही मंत्री द्वारा रजिस्टर में लिखी या लिखवाई जाएगी और अगली बैठक में पारित करवाई जाएगी। आपातकालीन व तत्कालिक आवश्यकता होने पर कार्यसमिति की बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकेगी।
- संशोधन (क) कार्यसमिति की बैठक की सूचना पत्र सम्प्रेषण की तिथि तथा बैठक की तिथि को छोड़ कर कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी। सूचना में दिनांक, समय, स्थान व कार्य-सूची अंकित रहेगी। बैठक की कार्यवाही मंत्री द्वारा रजिस्टर में लिखी या लिखवाई जाएगी और अगली बैठक में पारित करवाई जाएगी। आपातकालीन व तत्कालिक आवश्यकता होने पर कार्यसमिति की बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकेगी।
- वर्तमान (ख) कार्यसमिति की बैठक अध्यक्ष से विचार विमर्श कर मंत्री द्वारा दो माह में कम से कम एक बार बुलाई जानी आवश्यक होगी।
- संशोधन (ख) कार्यसमिति की बैठक अध्यक्ष से विचार विमर्श कर मंत्री द्वारा दो माह के अंतराल में कम से कम एक बार बुलाई जानी आवश्यक होगी। दो बैठकों का अन्तराल 60 (साठ) दिन से अधिक नहीं हो सकता है।

12. कोरम :-

- वर्तमान (क) साधारण सदन की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग या 50 जो कम होगा, वह होगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग या 30 सदस्य जो कम हो, वह होगा।
- संशोधन (क) साधारण सदन की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग या 50 जो कम होगा, वह होगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक उसी दिन उसी स्थान पर आधा घण्टा पश्चात् पूर्व सूचना के अनुसार होगी। स्थगित बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग या 30 सदस्य जो कम हो, वह होगा।
- वर्तमान (ख) कार्यसमिति का कोरम सदस्य संख्या का 1/3 भाग होगा, कोरम के अभाव में स्थगित बैठक का कोरम सदस्य संख्या का 1/4 भाग होगा।
- संशोधन (ख) कार्यसमिति का कोरम सदस्य संख्या का 1/3 भाग होगा, कोरम के अभाव में स्थगित बैठक उसी दिन उसी स्थान पर आधा घण्टा पश्चात् पूर्व सूचना के अनुसार होगी। स्थगित बैठक का कोरम सदस्य संख्या का 1/4 भाग होगा।
- वर्तमान (ग) अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बुलाई गई बैठक का कोरम सदस्य संख्या का 1/3 भाग या आधा घंटा उपरान्त 1/4 भाग या 40 सदस्य, इसमें से जो भी कम हो, होगा। अगर वह भी सम्भव नहीं हो तो केन्द्रीय अध्यक्ष/महामंत्री से निर्देश प्राप्त कर चुनाव कराए जा सकते हैं।
- संशोधन (ग) अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बुलाई गई बैठक का कोरम सदस्य संख्या का 1/3 भाग या आधा घंटा उपरान्त 1/4 भाग या 40 सदस्य, इसमें से जो भी कम हो, होगा। अगर वह भी सम्भव नहीं हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त कर चुनाव कराए जाएंगे।

13. अध्यक्ष का चुनाव/मनाव :-

- वर्तमान (क) 1. अध्यक्ष का चुनाव सदन में बहुमत के निर्णय से किया जाएगा।
2. अध्यक्ष पद पर एक युवक लगातार दो कार्यकाल से ज्यादा नहीं रहेगा।
- (ख) अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (ग) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो नए अध्यक्ष का चुनाव विधिवत् रूप से साधारण सदन में होगा, तब तक उपाध्यक्ष (प्रथम) अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेगा। चुनाव हेतु विशेष साधारण सदन की बैठक दो माह के भीतर बुलानी आवश्यक है।
- (घ) अध्यक्ष चुनाव प्रणाली निम्न प्रकार है:-
1. नवगठित शाखा परिषद् के अतिरिक्त अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को स्थानीय परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में कम से कम एक कार्य काल का अनुभव होना आवश्यक है।
 2. साधारण सभा में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उनका नामांकन पत्र रद्द समझा जाएगा। पर सर्वसम्मत नाम आने पर प्रत्याशी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
 3. शाखा परिषद् के सदस्य ही प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकते हैं।
 4. अध्यक्ष पद हेतु एक सदस्य एक ही व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव या अनुमोदन कर सकता है।
 5. अध्यक्ष के चुनाव से पहले कार्यसमिति द्वारा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव अधिकारी का तेरापंथी होना आवश्यक

होगा।

6. यदि अध्यक्ष के पद के लिए निर्धारित समय तक किसी नाम का प्रस्ताव नहीं आता है तो चुनाव अधिकारी को अधिकार होगा कि साधारण सभा में अध्यक्ष पद के लिए नाम का प्रस्ताव व अनुमोदन मांग कर निर्वाचन सम्पन्न करें।
7. निर्वाचन दिवस से तीन दिन पूर्व सायं 5 बजे तक प्राप्त नामांकन पत्र ही मान्य होंगे। चुनाव अधिकारी को नामांकन पत्र की सत्यता का आकलन कर दूसरे दिन प्रातः 11 बजे तक अधिकृत प्रत्याशियों के नाम शाखा परिषद् के अधिकृत सूचना पट्ट पर अंकित करना होगा। बैठक के सूचना पत्र में नामांकन जमा देने की तिथि, समय एवं स्थान का उल्लेख करना होगा।
8. बंद लिफाफे पर नामांकन पत्र अंकित कर उसे चुनाव अधिकारी के कार्यालय या अन्य निर्धारित स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
9. चुनाव संबंधी विशेष स्थिति में चुनाव अधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्णय देगा, वह निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
10. अध्यक्ष के चुनाव के लिए यदि मतदान की आवश्यकता हुई तो चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से कराया जाएगा।
11. 15 मई से पूर्व बने हुए सदस्यों को ही मतदान करने का अधिकार होगा एवं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी होने का अधिकार होगा।
12. अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुनाव प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व सायं 5 बजे तक अपना नाम वापिस ले सकता है।

संशोधन

अध्यक्ष चुनाव प्रणाली निम्न प्रकार है:-

1. अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
2. अध्यक्ष का चुनाव सदन में बहुमत के निर्णय से किया जाएगा।
3. अध्यक्ष पद पर एक युवक लगातार दो कार्यकाल से ज्यादा नहीं रह सकता है।
4. अध्यक्ष पद का उम्मीदवार का व्यसन मुक्त होना आवश्यक है।
5. अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को जैन धर्म एवं तेरापंथ सम्प्रदाय की सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है।
6. 15 मई तक बने हुए सदस्यों को ही मतदान करने का अधिकार होगा एवं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी होने का अधिकार होगा। कार्यसमिति की बैठक 15 मई की रात्रि में अनिवार्य रूप से आयोजित कर प्राप्त आवेदन पत्रों को पारित करना होगा।
7. शाखा परिषद् के सदस्य ही नामांकन पत्र (प्रारूप परिशिष्ट में) में प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकते हैं।
8. अध्यक्ष पद हेतु एक सदस्य एक ही व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव या अनुमोदन कर सकता है।
9. नवगठित शाखा परिषद् के अतिरिक्त अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को स्थानीय परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में कम से कम दो कार्यकाल का अनुभव होना आवश्यक है। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्राप्त अनुभव मान्य नहीं होगा।
10. साधारण सभा में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उनका नामांकन पत्र रद्द समझा जाएगा। पर सर्वसम्मत नाम आने पर प्रत्याशी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
11. अध्यक्ष के चुनाव से पहले कार्यसमिति द्वारा एक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव अधिकारी का तेरापंथी होना आवश्यक होगा।
12. बंद लिफाफे पर नामांकन पत्र अंकित कर उसे चुनाव अधिकारी के कार्यालय या अन्य निर्धारित स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
13. निर्वाचन दिवस से तीन दिन पूर्व (निर्वाचन दिन एवं नामांकन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिवस को छोड़ कर) सायं 5 बजे तक प्राप्त नामांकन पत्र ही मान्य होंगे। चुनाव अधिकारी को नामांकन पत्र की सत्यता का आकलन कर अगले दिन प्रातः 11 बजे तक अधिकृत प्रत्याशियों के नाम शाखा परिषद् के अधिकृत सूचना पट्ट पर अंकित करना होगा। बैठक के सूचना पत्र में नामांकन पत्र देने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान का उल्लेख करना होगा।
14. अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुनाव प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व (निर्वाचन दिन एवं नामांकन वापस लेने के दिवस को छोड़ कर) सायं 5 बजे तक अपना नाम वापिस ले सकता है।
15. अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अवधि तक यदि किसी नाम का प्रस्ताव नहीं आता है तो चुनाव अधिकारी को अधिकार होगा कि साधारण सभा में अध्यक्ष पद के लिए नाम का प्रस्ताव व अनुमोदन मांग कर निर्वाचन सम्पन्न करें।
16. अध्यक्ष के चुनाव के लिए यदि मतदान की आवश्यकता हुई तो चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से कराया जाएगा।
17. साधारण बैठक में कार्यसूची के अंतर्गत ही चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे। चुनाव के लिए अलग से कोई अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है।
18. चुनाव संबंधी विशेष स्थिति में चुनाव अधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्णय देगा, वह निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

14. अध्यक्ष की पद-मुक्ति:-

परिवर्द्धन (घ) व्यसन युक्त होने पर

परिवर्द्धन 14A अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष (प्रथम) अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेगा। अध्यक्ष पद रिक्त होने के साठ दिन के भीतर अध्यक्षीय चुनाव हेतु विशेष साधारण सदन की बैठक बुलानी आवश्यक है।

16. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- वर्तमान (क) परिषद् के साधारण सदन तथा कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता करना।
संशोधन (क) परिषद् के साधारण सदन, विशेष साधारण सदन तथा कार्यसमिति एवं अन्य बैठकों की अध्यक्षता करना।
वर्तमान (ड.) पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति के सदस्यों को मनोनीत करना।
संशोधन (ड.) पदाधिकारीगण, प्रभारीगण, कार्यसमिति एवं उपसमिति के सदस्यों को मनोनीत करना।
वर्तमान (च) पदाधिकारियों, कार्यसमिति के सदस्यों, क्षेत्रीय सहयोगियों, उपसमिति संचालकों एवं उपसमिति सदस्यों से त्याग-पत्र मांगना, त्याग-पत्र को स्वीकृत करना, उन्हें पद से हटाना, निलम्बित करना।
संशोधन (च) पदाधिकारियों, प्रभारीगण, कार्यसमिति के सदस्यों एवं उपसमिति सदस्यों से त्याग-पत्र मांगना, त्याग-पत्र को स्वीकृत करना, उन्हें पद मुक्त करना।

18. मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- परिवर्द्धन (ट) सम्पूर्ण वर्ष का कार्य विवरण केन्द्रीय परिषद् को मूल्यांकन हेतु भेजना।

22. उपसमितियाँ :-

- वर्तमान (ग) उप-समिति के प्रभारी का मनोनयन अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष के निर्देश से संयोजक सदस्यों का मनोनयन करेगा।
संशोधन (ग) उप-समिति के प्रभारी एवं सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष करेगा।

22अ. किशोर मण्डल

किसी भी स्थानीय शाखा परिषद् में 10 से अधिक तेरापंथी किशोर सदस्य बनते हों, वहां अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् के संविधान की धारा 7A के अंतर्गत स्थानीय शाखा परिषद् के अंतर्गत "तेरापंथ किशोर मण्डल" का गठन किया जा सकता है। (किशोर मण्डल प्रारूप परिशिष्ट में)

23. परामर्शक मण्डल :-

- वर्तमान शाखा परिषद् के पथ प्रदर्शन एवं उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु अध्यक्ष द्वारा तेरापंथ समाज के अधिकतम पांच विशिष्ट व्यक्तियों का एक परामर्शक मण्डल गठित किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार उनको कार्यसमिति की बैठक एवं साधारण सदन में आमंत्रित किया जा सकेगा, परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। सदस्य होने की स्थिति में वह साधारण सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
संशोधन शाखा परिषद् के पथ प्रदर्शन एवं उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु अध्यक्ष द्वारा तेरापंथ समाज के अधिकतम पांच विशिष्ट व्यक्तियों का एक परामर्शक मण्डल गठित किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार उनको कार्यसमिति की बैठक एवं साधारण सदन में आमंत्रित किया जा सकेगा, परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। स्थानीय शाखा परिषद् के सदस्य होने की स्थिति में वह साधारण सदन तथा विशेष साधारण सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

27. संविधान संशोधन:-

- वर्तमान यह संविधान 27 जुलाई 2008 से प्रभावी माना जायेगा।
संशोधन यह संविधान 7 अगस्त 2011 से प्रभावी माना जायेगा।

पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

- वर्तमान प्रवेश शुल्क : 2100/- (दो हजार एक सौ रुपये मात्र)
संशोधन प्रवेश शुल्क : 5100/- (पांच हजार एक सौ रुपये मात्र)

केन्द्रीय परिषद् संविधान का प्रस्तावित संशोधन

3. उद्देश्य:-

वर्तमान (ड.) शाखा परिषदों का गठन करना, मार्गदर्शन करना, नियंत्रण करना और एकरूपता बनाये रखने में योगदान करना।

संशोधन (ड.) शाखा परिषदों का गठन करना, मार्गदर्शन करना, नियम बनाना, नियंत्रण करना और एकरूपता बनाए रखने में योगदान करना।

6. परिभाषाएँ:-

वर्तमान (ड.) 'साधारण सदन' से अभिप्राय अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की साधारण सभा (जनरल मीटिंग) से होगा।

संशोधन (ड.) 'साधारण सदन' से अभिप्राय राष्ट्रीय कार्यसमिति एवं शाखा परिषदों के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा।

7. शाखा परिषद् की स्थापना एवं सदस्यता :-

वर्तमान (घ) प्रथम बार मान्यता प्राप्त करने वाली शाखा परिषद् को सदस्यता आवेदन के साथ प्रवेश शुल्क 2,100/- (अक्षरे रूपये दो हजार एक सौ मात्र) के अतिरिक्त साधारण सदन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा। ऐसी पंजीकृत प्रत्येक शाखा परिषद् को प्रतिवर्ष साधारण सदन द्वारा निर्धारित पंजीयन नवीनीकरण शुल्क वार्षिक अधिवेशन तक केन्द्रीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

संशोधन (घ) प्रथम बार मान्यता प्राप्त करने वाली शाखा परिषद् को सदस्यता आवेदन के साथ प्रवेश शुल्क 5,100/- (अक्षरे रूपये पांच हजार एक सौ मात्र) के अतिरिक्त साधारण सदन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा। ऐसी पंजीकृत प्रत्येक शाखा परिषद् को प्रतिवर्ष साधारण सदन द्वारा निर्धारित पंजीयन नवीनीकरण शुल्क वार्षिक अधिवेशन तक केन्द्रीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

परिवर्द्धन

7A. किशोर मण्डल की स्थापना एवं सदस्यता :-

(क) किशोर मण्डल की स्थापना- किसी भी ग्राम, नगर अथवा क्षेत्र में, जहां 10 से अधिक तेरापंथी किशोर सदस्य बनते हों, वहां स्थानीय शाखा परिषद् के अंतर्गत "तेरापंथ किशोर मण्डल" के नाम से गठित किया जा सकता है। उसे नियम 7 A (ख) व 7 A (ग) की शर्तें पूरी करनी होंगी।

(ख) केन्द्रीय परिषद् द्वारा शाखा परिषदों के लिए स्वीकृत संविधान को स्वीकार कर मान्यता प्राप्त करने वाली शाखा परिषद् ही किशोर मण्डल का गठन कर सकेगी।

(ग) किशोर मण्डल की स्थापना तभी पूर्ण समझी जायेगी, जब केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्रों को प्रस्तावित शाखा परिषद् पूर्ण रूप से भरकर उसे निकट क्षेत्र में प्रवासित केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर केन्द्रीय परिषद् के महामन्त्री कार्यालय में भेजेगी। महामन्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर लिखित रूप से उसे किशोर मण्डल के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

(घ) प्रथम बार मान्यता प्राप्त करने वाले किशोर मण्डल को सदस्यता आवेदन के साथ प्रवेश शुल्क 1,000/- (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र) के अतिरिक्त साधारण सदन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क (वर्तमान में रु. 200) जमा कराना होगा। ऐसी पंजीकृत प्रत्येक शाखा परिषद् को प्रतिवर्ष साधारण सदन द्वारा निर्धारित पंजीयन नवीनीकरण शुल्क वार्षिक अधिवेशन तक केन्द्रीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

वर्तमान 9. सदस्यता निलम्बन/निरस्तकरण

संशोधन 9. सदस्यता निलम्बन / निरस्तीकरण

10. साधारण सदन:-

वर्तमान केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों की सामान्य बैठक साधारण सदन कहलाएगी। साधारण सदन के कार्य इस प्रकार होंगे:-

संशोधन साधारण सदन के कार्य इस प्रकार होंगे:-

परिवर्द्धन (ज) राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना तथा अपेक्षित निर्णय करना।

परिवर्द्धन (झ) केन्द्रीय तथा शाखा परिषद् के संविधान में संशोधन पर विचार करना तथा अपेक्षित निर्णय लेना।

11. साधारण सदन की बैठक :-

वर्तमान (क) साधारण सदन की बैठक की सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व दी जाएगी। सूचना में बैठक या अधिवेशन की तारीख, स्थान, समय और कार्यसूची का उल्लेख होगा। कार्यरत उपस्थिति (कोरम) के अभाव में स्थगित बैठक उसी दिन उसी स्थान पर आधा घण्टा पश्चात् पूर्व सूचना के अनुसार हो सकेगी।

- संशोधन (क) साधारण सदन की बैठक की सूचना कम से कम 31 दिन पूर्व (साधारण सदन के दिवस को छोड़ कर) दी जाएगी। सूचना में बैठक या अधिवेशन की तारीख, स्थान, समय और कार्यसूची का उल्लेख होगा। कार्यरत उपस्थिति (कोरम) के अभाव में स्थगित बैठक उसी दिन उसी स्थान पर आधा घण्टा पश्चात् पूर्व सूचना के अनुसार हो सकेगी।
12. साधारण सदन की विशेष बैठक:-
- वर्तमान (क) संविधान में संशोधन, सम्बर्द्धन व परिवर्तन (इसी हेतु बुलाई गई) विशेष बैठक में प्रस्तावित संशोधन की प्रति प्रसारित करनी होगी। उस विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होने से संशोधन पारित समझा जायेगा।
- संशोधन (क) संविधान में संशोधन हेतु बुलाई गई विशेष बैठक में प्रस्तावित संशोधन की प्रति वितरित करनी होगी। उस विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होने से ही संशोधन पारित होगा।
- वर्तमान (ख) अध्यक्ष के प्रति प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय करना। अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव विचारार्थ तभी स्वीकार किया जायेगा जब वह प्रस्ताव केन्द्रीय परिषद् के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई मत आवश्यक होगा। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत न होने की स्थिति में कम से कम छः माह तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।
- संशोधन अध्यक्ष के प्रति प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय करना। अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव विचारार्थ तभी स्वीकार किया जायेगा जब वह प्रस्ताव 1/3 शाखा परिषदों द्वारा लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई मत आवश्यक होगा। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत न होने की स्थिति में उसी अध्यक्ष हेतु कम से कम छः माह तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।
13. अध्यक्ष का निर्वाचन:-
- वर्तमान (क) अध्यक्ष निर्वाचन की सूचना कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना पत्र द्वारा दी जायेगी।
- संशोधन (क) अध्यक्ष निर्वाचन की सूचना कम से कम 31 दिन पूर्व (पत्र सम्प्रेषण दिवस तथा निर्वाचन दिनांक को छोड़ कर) सूचना पत्र द्वारा दी जाएगी।
- वर्तमान (ख) अध्यक्ष पद हेतु विधिवत् नामांकन पत्र एक शाखा परिषद् द्वारा प्रस्तावित व दूसरी शाखा परिषद् द्वारा अनुमोदित होकर चुनाव से 10 दिन पूर्व सांय 5 बजे तक सूचना में उल्लेखित चुनाव अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना जरूरी है।
- संशोधन (ख) अध्यक्ष पद हेतु विधिवत् नामांकन पत्र एक शाखा परिषद् द्वारा प्रस्तावित व दूसरी शाखा परिषद् द्वारा अनुमोदित होकर चुनाव से कम से कम 10 दिन पूर्व (पत्र सम्प्रेषण दिवस एवं निर्वाचन दिवस को छोड़ कर) सांय 5 बजे तक सूचना में उल्लेखित चुनाव अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचना जरूरी है।
- वर्तमान (ज) अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। कोई भी युवक अध्यक्ष पद पर अधिकतम लगातार दो कार्यकाल तक रह सकता है।
- संशोधन (ज) अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। कोई भी युवक अध्यक्ष पद पर केवल एक कार्यकाल तक ही रह सकता है।
- वर्तमान (झ) किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नये अध्यक्ष का चुनाव विधिवत् रूप से आगामी वार्षिक अधिवेशन पर विशेष साधारण सदन की बैठक में होगा, तब तक प्रथम उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा। चुनाव हेतु विशेष साधारण सदन की बैठक दो माह के भीतर बुलानी आवश्यक होगी।
- संशोधन (झ) किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नये अध्यक्ष का चुनाव विधिवत् रूप से आगामी वार्षिक अधिवेशन पर विशेष साधारण सदन की बैठक में होगा, तब तक प्रथम उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा। चुनाव हेतु विशेष साधारण सदन की बैठक 60 दिनों के भीतर बुलानी आवश्यक होगी।
- 13ए. अध्यक्ष के लिए अर्हताएं:-
- परिवर्द्धन (घ) केन्द्रीय परिषद् में दो कार्यकाल का अनुभवी युवक ही केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हो सकेगा।
16. राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक :-
- वर्तमान (क) राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक की सूचना कम से कम 31 दिन पूर्व दी जायेगी। सूचना में दिनांक, समय, स्थान व विषय-सूची अंकित रहेगी। लिखित सूचना सदस्यों के पत्तों पर डाक या सन्देशवाहक द्वारा भेजी जायेगी।
- संशोधन (क) राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक की सूचना कम से कम 31 दिन पूर्व (पत्र सम्प्रेषण दिवस एवं बैठक के दिन को छोड़ कर) दी जाएगी। सूचना में दिनांक, समय, स्थान व विषय-सूची अंकित रहेगी। लिखित सूचना सदस्यों के पत्तों पर डाक या कोरियर द्वारा भेजी जाएगी।
18. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-
- परिवर्द्धन (ड) शाखा परिषदों से कार्य विवरण मंगवा कर, मूल्यांकन कर परिषदों को पुरस्कृत करना।

अहम्



अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्

प्रधान कार्यालय : 'युवालोक', पो. बा. नं. 16, लाडनूं - 341 306.

फोन : 01581 - 222 114. तार : 'युवालोक'

45वां वार्षिक अधिवेशन

5, 6, 7 नवम्बर 2011, केलवा (राज.)

पंजीयन पत्र

तेरापंथ युवक परिषद् शाखा

पता
..... पिनकोड
फोन नं ई-मेल फेक्स
अध्यक्ष का नाम
पता
..... पिनकोड
फोन नं (ऑ) (नि) (मो).....
ई-मेल फेक्स
मंत्री का नाम
पता
..... पिनकोड
फोन नं (ऑ) (नि) (मो).....
ई-मेल फेक्स

पत्र व्यवहार का पता : शाखा / अध्यक्ष / मंत्री



अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्

वार्षिक अधिवेशन

5, 6, 7 नवम्बर 2011

सेवा
संस्कार
संगठन

चरणों को गतिमान बनाएं, सपनों को साकार बनाएं

अधिवेशन में भाग लेने वाले सम्भागियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पद

फोटो	फोटो	फोटो	फोटो	फोटो
------	------	------	------	------

नाम नाम नाम नाम नाम
 पद पद पद पद पद

उपरोक्त सदस्यों में से साधारण सदन में भाग लेने वाले एक अधिकृत प्रतिनिधि का नाम :

हस्ताक्षर
अध्यक्ष / मंत्री

विशेष ज्ञातव्य :-

- अधिवेशन में संभागियों की संख्या सीमित नहीं की गई है। संभागियों का पंजीकरण शुल्क निम्न रहेगा :-
 (क) 15 सितम्बर 2011 तक प्राप्त पंजीयन पत्र का शुल्क रु. 750 प्रति प्रतिनिधि
 (ख) 15 सितम्बर 2011 के बाद प्राप्त पंजीयन पत्र का शुल्क रु. 1000 प्रति प्रतिनिधि
 पंजीयन शुल्क जमा होने के पश्चात् अधिवेशन में किसी कारणवश संभागी नहीं पहुंच सके तो पंजीयन शुल्क वापस नहीं होगा।
 - पंजीकरण शुल्क अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् के ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा लाडनू में बचत खाता संख्या 10272010002800 एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा लाडनू के बचत खाता संख्या 30313076278 में जमा करवायें। जिन स्थानों पर उपरोक्त बैंक की शाखा नहीं है, वे शाखा परिषदें 'अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्' के नाम लाडनू पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा प्रेषित करें।
 - पंजीयन पत्र पंजीयन शुल्क की बैंक जमा पर्ची या डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निर्धारित स्थान पर संभागियों की फोटो लगाकर पूर्ण विवरण के साथ संयोजकीय कार्यालय में अतिशीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
- नोट : अधिवेशन में भाग लेने वाले संभागियों की संख्या 5 से अधिक होने पर पंजीयन पत्र की फोटो कॉपी का उपयोग किया जाए।

संयोजकीय कार्यालय
Prafull Betala

GMB Marble Pvt. Ltd., NH-5, Nr. Durga Chowk, Sikharpur, Cuttack - 753 003. Ph : 9337267213